



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161774

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 36421 वर्ष 2001

देवेंद्र मिश्रा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : केशव कुमार श्रीवास्तव, राजेश यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल, अरविंद कुमार गोस्वामी,

एन.पी. शुक्ला, स्थायी अधिवक्ता, एस.एन. श्रीवास्तव/एस.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 19)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री के.के. श्रीवास्तव की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता श्री के.के. तिवारी तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार गोस्वामी को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.05.2001 को संक्षिप्त कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष के उपरांत पारित आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के सिद्ध एवं स्वीकृत अपराध के आधार पर उसे छह माह के कारावास तथा सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है।

3. दिनांक 10.05.2001 को याचिकाकर्ता सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में आरक्षी के पद पर कार्यरत था। जब उसकी प्लाटून के लांस नायक पवन कुमार ने उसे बीओपी सावना में परिचालन ड्यूटी सौंपी, तब याचिकाकर्ता ने अपनी राइफल उठाई, उसमें गोली भरकर उक्त लांस नायक की ओर तान दी और उसे जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात् संक्षिप्त कोर्ट मार्शल का आदेश दिया गया, जिसमें दिनांक 18.05.2001 को याचिकाकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और यह निवेदन किया कि उसे सेवा से बर्खास्तगी के अतिरिक्त कोई भी दंड दिया जाए। कोर्ट मार्शल द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह किसी साक्षी पर निर्भर करना अथवा किसी साक्षी का परीक्षण करना चाहता है, तो उसने स्पष्ट रूप से ऐसा कोई अवसर लेने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के आधार पर आक्षेपित आदेश दिनांक 18.05.2001 पारित किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को छह माह के कठोर कारावास के साथ सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई। उक्त आदेश के पश्चात्, याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.07.2001 को महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता की उक्त दया याचिका भी आदेश दिनांक 18.10.2001 द्वारा निरस्त कर दी गई। प्रारंभ में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.05.2001 के सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। तथापि, बाद में संशोधन के माध्यम से उसने दया याचिका पर पारित आदेश को भी चुनौती दी है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान दया याचिका की विषय-वस्तु की ओर आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया कि अपनी परिस्थितियों के कारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अतः याचिकाकर्ता की दया याचिका स्वीकार की जानी चाहिए थी और उसे सेवा से बर्खास्तगी के अतिरिक्त कोई अन्य दंड दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 18.05.2005 द्वारा याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए तथा सीमा सुरक्षा बल नियमावली, 1969 के नियम 22 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय **यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनंदर बनाम तुलसीराम पटेल, एआईआर 1985 एससी 1416** पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि अनुशासनिक कार्यवाही में दंड अधिरोपित किए जाने का आधार बनती है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाना हो कि कौन-सा दंड दिया जाना चाहिए, तो याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए। अतः याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दंडादेश पारित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा याचिकाकर्ता को अधिरोपित किए जाने वाले दंड की मात्रा के संबंध में भी नहीं सुना गया। इसलिए, दंडादेश दूषित हो गया है और उन्होंने उक्त आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2024 को **ब्रिजेश कुमार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2024:डीएचसी:316-डीबी** में पारित निर्णय पर भरोसा किया है, जो समान परिस्थितियों में पारित किया गया था, जहाँ याचिकाकर्ता द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उक्त मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा कारावास के दंड के साथ-साथ सेवा से बर्खास्तगी के दंड को भी कायम रखा गया था। विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2026 को **भागीरथ चौधरी बनाम सीमा सुरक्षा बल, 2026 लाइव लॉ (एससी) 165** में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें इसी प्रकार के दंडादेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा छह माह के कठोर कारावास तथा सेवा से बर्खास्तगी का संयुक्त दंड अधिरोपित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 50 के आधार पर, सुरक्षा बल न्यायालय, धारा 48 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत परिकल्पित दंड के अतिरिक्त, विधि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एक या अधिक दंड, जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, उक्त संयुक्त दंडादेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा कायम रखा गया है। अतः प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है, जो याचिकाकर्ता द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के आधार पर पारित किए गए हैं तथा दंड और सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में पारित संयुक्त आदेश सीमा सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है और परिणामस्वरूप, उन्होंने वर्तमान रिट याचिका को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के उपरांत, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि दंडादेश दिनांक 18.05.2001 याचिकाकर्ता द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने के आधार पर पारित किया गया है और याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। परिणामस्वरूप, सुरक्षा बल न्यायालय ने सीमा सुरक्षा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बल अधिनियम की धारा 50 के अनुसार संयुक्त दंडादेश पारित किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को छह माह के कठोर कारावास के साथ सेवा से बर्खास्तगी का दंड दिया गया। सीमा सुरक्षा बल नियमावली, 1969 के नियम 22 का परंतुक (क) स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करता है कि जहाँ ऐसी आचरण के आधार पर सेवाएँ समाप्त की जाती हैं, जिसके कारण सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि हुई है, वहाँ सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने के संबंध में उपनियम (1) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है।

7. ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं मिलती है और परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका विफल होती है तथा एतद्वारा **निरस्त** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 03 अगस्त, 2026

आशीष प्रसाद

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”